

Sr. No.	Name of Mining Officer	From	To
1.	Sh. Jyoti Kumar Puri	Mining Office Dharamshala	Mining Office, Chamba (with TTA/JT) against vacancy.
2.	Sh. Harvinder Singh	Under transfer from Mining Office, Bilaspur to Mining Office Chamba.	Mining Office, Dharamshala (without TTA/JT) against Sr. No.1.

The above officers are directed to report for duty at their new place of posting within 07 days and submit joining report to this Department as well as to the Director of Industries.

By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary (Industries).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 सितम्बर, 2017

संख्या: एल0एल0आर0-डी0(6)-18/2017-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 15-09-2017 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 16) को वर्ष 2017 के अधिनियम संख्यांक 11 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
(डा0 बलदेव सिंह),
प्रधान सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017

धाराओं का क्रम

धाराएँ :

अध्याय-1 प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।

अध्याय-2 विश्वविद्यालय की स्थापना

3. विश्वविद्यालय की स्थापना।
4. विश्वविद्यालय का मिशन।
5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य।
6. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य।
7. अधिकारिता और प्रवेश के विशेषाधिकार।
8. विश्वविद्यालय का सभी के लिए खुला होना।
9. सरकारी महाविद्यालयों का विश्वविद्यालय के लिए अन्तरण।
10. निरीक्षण और नियन्त्रण।
11. क्षेत्रीय इकाइयों की स्थापना।

अध्याय-3

विश्वविद्यालय के अधिकारी

12. विश्वविद्यालय का कुलाधिपति।
13. विश्वविद्यालय के अधिकारी।
14. कुलपति।
15. कुलपति की शक्तियाँ और कर्तव्य।
16. प्रतिकुलपति।
17. संकायाध्यक्ष।
18. रजिस्ट्रार।
19. परीक्षा नियन्त्रक।
20. वित्त अधिकारी।
21. अन्य अधिकारी।
22. विश्वविद्यालय के अधिकारियों का परिनियमों द्वारा उपबंधित से अन्यथा पारिश्रमिक स्वीकार न करना।

अध्याय-4

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

23. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।
24. सिनेट।
25. सिनेट की बैठकें।
26. सिनेट की शक्तियाँ और कृत्य।
27. प्रबंध बोर्ड।
28. प्रबंध बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य।
29. विद्या परिषद्।
30. विद्या परिषद् की शक्तियाँ और कृत्य।
31. योजना बोर्ड।
32. वित्त समिति।
33. संकाय।
34. अध्ययन बोर्ड।

अध्याय-5

वित्त और लेखे

35. सामान्य निधि।
36. अन्य निधियाँ।
37. उधार लेने की शक्ति।
38. निधियों का प्रबंध।

39. सरकार की संपरीक्षा करने के निदेश देने की शक्ति।
40. वित्तीय प्राक्कलन।
41. वार्षिक लेखे और संपरीक्षा।
42. वार्षिक रिपोर्ट।

अध्याय—6

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

43. परिनियम।
44. परिनियमों का बनाया जाना।
45. अध्यादेश।
46. अध्यादेशों का बनाया जाना।
47. विनियमों का बनाया जाना।

अध्याय—7

महाविद्यालयों की सहबद्धता और संस्थाओं की मान्यता

48. महाविद्यालयों की सहबद्धता।
49. महाविद्यालयों से अन्यथा संस्थाओं की मान्यता।
50. महाविद्यालयों का निरीक्षण और रिपोर्टें।

अध्याय—8

विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

51. विभिन्न पदों पर नियुक्तियां।
52. अभ्यागत प्राचार्य।

अध्याय—9

साधारण

53. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
54. रिक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।
55. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और निकायों के गठन के विषय के बारे में विवाद।
56. प्रथम कुलपति की अस्थायी शक्तियाँ।
57. कुलपति और अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना।
58. परिनियमों, अध्यादेशों आदि का जारी रहना।
59. नियम बनाने की शक्ति।
60. कतिपय परीक्षाओं के विषय में व्यावृत्तियाँ।
61. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
62. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

2017 का अधिनियम संख्यांक 11

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 15 सितम्बर, 2017 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में सहबद्धता और अध्यापन तथा आधुनिक आयुर्विज्ञान पद्धति और भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति में उचित और व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए "हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय" नामक विश्वविद्यालय की स्थापना करने और उसका निगमन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. **परिभाषाएं.**—इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “विद्या परिषद्” से, धारा 29 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;
- (ख) “शैक्षणिक पाठ्यक्रम” से, विश्वविद्यालय द्वारा विहित पाठ्य विवरण या पाठ्यचर्या के अनुसार स्वास्थ्य विज्ञान की किसी भी विद्या शाखा का पाठ्यक्रम अभिप्रेत है;
- (ग) “सहबद्ध महाविद्यालय” से, शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए तथा विश्वविद्यालय से सहबद्ध कोई महाविद्यालय अभिप्रेत है;
- (घ) “अनुमोदित संस्था” से, कोई अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र या संस्थान के रूप में विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कोई ऐसी अन्य संस्था अभिप्रेत है जिसमें, कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय द्वारा अधिकथित किसी उपाधि या अन्य अर्हता प्रदान करने से पूर्व, किसी पाठ्यक्रम द्वारा अपेक्षित कोई प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेगा;
- (ङ) “प्रबंध बोर्ड” से, धारा 27 के अधीन विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए गठित प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है;
- (च) “कुलाधिपति” से, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है;
- (छ) “परिषद्” से, किसी राज्य अधिनियम या केन्द्रीय अधिनियम के अधीन गठित किसी स्वास्थ्य विज्ञान शाखा से सम्बद्ध कोई वृत्तिक परिषद् अभिप्रेत है;
- (ज) “संकायाध्यक्ष” से, विश्वविद्यालय का संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (झ) “विभाग” से, स्वास्थ्य विज्ञान या उससे सहबद्ध किसी विद्या शाखा में, पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा देने के प्रयोजन से गठित कोई इकाई अभिप्रेत है;
- (ञ) “क्षेत्रीय इकाई” से, विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नई तकनीकों और पद्धतियों से होने वाले फायदों को विधिमान्य और प्रसारित करने के लिए विश्वविद्यालय से बाहर स्थापित कोई इकाई अभिप्रेत है;
- (ट) “सरकार” या “राज्य सरकार” से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (ठ) “स्वास्थ्य विज्ञान” से, निवारक, संवर्धक, आरोग्यकर, या पुनर्वासी सेवाओं से सम्बन्धित उनकी सभी शाखाओं की आधुनिक आयुर्विज्ञान पद्धति और भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति अभिप्रेत है;

- (ड) "छात्रावास" से, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त निवास की कोई इकाई अभिप्रेत है;
- (ढ) "भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति" के अन्तर्गत आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, योगा और ऐसी अन्य विद्या शाखाएं हैं, जो विहित की जाएं;
- (ण) "आधुनिक आयुर्विज्ञान पद्धति" से, उपाधि (डिग्री) स्तर पर और उससे ऊपर क्लिनिकल-पूर्व, सह क्लिनिकल, सह-चिकित्सीय और सह दन्त-चिकित्सीय विद्या शाखाओं, और ऐसी अन्य विद्या की शाखाओं, जो विहित की जाएं, से संबंधित आधुनिक आयुर्विज्ञान और दन्त-चिकित्सा की सभी शाखाएं अभिप्रेत हैं;
- (त) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं;
- (थ) "प्रधानाचार्य" से, किसी सहबद्ध महाविद्यालय या विश्वविद्यालय-महाविद्यालय का प्रमुख अभिप्रेत है;
- (द) "रजिस्ट्रार" से, विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;
- (ध) "धारा" से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (न) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;
- (प) "परिनियम", "अध्यादेश" और "विनियम" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं :
- (फ) "छात्र" से, विश्वविद्यालय की उपाधि (डिग्री), डिप्लोमा या प्रमाण पत्र हेतु किसी पाठ्यक्रम को करने के लिए विश्वविद्यालय या उसके किसी सहबद्ध महाविद्यालय में अभ्याविष्ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ब) "शिक्षक" के अन्तर्गत प्रधानाचार्य, आचार्य, उपाचार्य (रीडर), सह आचार्य, सहायक आचार्य, प्रवक्ता और विश्वविद्यालय या किसी सहबद्ध महाविद्यालय में पूर्णकालिक आधार पर शिक्षण देने वाले ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं;
- (भ) "विश्वविद्यालय" से, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;
- (म) "विश्वविद्यालय क्षेत्र" से, विश्वविद्यालय की अधिकारिता के अधीन आने वाला क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (य) "विश्वविद्यालय कैम्पस" से, विश्वविद्यालय के मुख्यालय या ऐसे अन्य महाविद्यालयों और संस्थाओं, जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा घोषित की जाएं, की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है; और
- (यक) "विश्वविद्यालय-महाविद्यालय" से, विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या से आसंग या द्वारा प्रशासित कोई महाविद्यालय अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत उसके साथ आसंग कोई अस्पताल भी है।

अध्याय-2

विश्वविद्यालय की स्थापना

3. विश्वविद्यालय की स्थापना.—(1) हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से हिमाचल प्रदेश राज्य में अधिकारिता रखने वाला एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा और जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नेर चौक, मण्डी या ऐसे किसी अन्य स्थान पर होगा जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

4. विश्वविद्यालय का मिशन.—विश्वविद्यालय का मिशन बौद्धिक, शैक्षिक और प्राकृतिक वातावरण तैयार करना होगा जो विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों, इस विश्वविद्यालय और देश और विदेश में स्वास्थ्य विज्ञान के अन्य विश्वविद्यालयों के मध्य तद्द्वारा देश के स्वास्थ्य विज्ञान में स्वास्थ्य वृत्तिकों, स्वास्थ्य योजनाकारों, स्वास्थ्य प्रबंधकों, जैव-चिकित्सा और समाज विज्ञानियों और शिक्षकों को अवसर प्रदान करके विचारों के अबाध प्रवाह और सूचना का आदान-प्रदान करने में सहायक होगा।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे,—

- (क) स्वास्थ्य विज्ञान के समस्त संकायों में, शिक्षा के मानकों में आधुनिक चिकित्सा पद्धति, दन्त-चिकित्सा और शल्य चिकित्सा, भारतीय चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी और विभिन्न सह-चिकित्सीय तथा सह-दन्त विद्या शाखाओं जैसे नर्सिंग, चिकित्सीय प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, भेषजी, भौतिक चिकित्सा और वाक्-चिकित्सा सहित, ऐसे शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और निरन्तर आधुनिकीकरण, सभी स्तरों पर शैक्षिक श्रेष्ठता के उच्चतम मानकों में सुधार करना और उन्हें प्राप्त करने के दृष्टिगत एकरूपता स्थापित करना;
- (ख) स्वास्थ्य विज्ञान की विभिन्न विद्या शाखाओं में, अनुसंधान को बढ़ावा देने और उसे कार्यान्वित करने के साथ-साथ ऐसे अनुसंधान की सामाजिक और आर्थिक सुसंगति पर विशेष ध्यान देने और लोगों को प्रभावित करने वाले व्यावसायिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों पर बल देना;
- (ग) स्वास्थ्य विज्ञान की सुसंगत समस्त विद्या शाखाओं विशेषतः जो वर्तमानतः स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या और पाठ्य विवरण में सम्मिलित नहीं है, को एकीकृत करके अध्यापन केन्द्रों को स्थापित और विकसित करना। इनके अन्तर्गत ये सम्मिलित तो होंगे किन्तु जनसंख्या विज्ञान, स्वास्थ्य पद्धति और स्वास्थ्य सेवाएं, प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, शिक्षा प्रौद्योगिकी, जैव-सूचना विज्ञान और टेलिमेडिक्स तथा स्वास्थ्य विज्ञान में सतत् शिक्षा तक निर्बन्धन नहीं होगा;
- (घ) सूचना प्रौद्योगिकी सहित दूर संचार और इण्टरनेट, लिबनेट, मेडलरज तथा अन्य नेटवर्कस तक पहुंच की विभिन्न रूपात्मकताओं के अध्ययन के लिए रोचक और नवरूपित सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत प्रौद्योगिकी अवसंरचना के भाग के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना;
- (ङ) स्वास्थ्य वृत्तिकों, संकाय और छात्रों के मध्य कम्प्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देना; और
- (च) आवश्यक भौतिक अवसंरचना की व्यवस्था करके और ऐसा बौद्धिक वातावरण, जो विचारों के निर्बाध प्रवाह और सूचना के सार्थक आदान-प्रदान के लिए अनुकूल हो, तैयार कर शैक्षिक श्रेष्ठता के उच्चतम मानक प्राप्त करना।

6. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य.—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात्:-

- (क) विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्य विवरण और पाठ्यचर्या की विरचना करना और उसको लागू करना;
- (ख) विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित समस्त शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाओं को, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, संचालित करना और उनके संचालन का विनियमन करना;
- (ग) मूल्यांकन और निर्धारण की पद्धतियों को मानकीकृत करना और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार विभिन्न उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों को प्रदान करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करना;
- (घ) उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षिक उपाधियां संस्थित करना और प्रदान करना;
- (ङ) स्तरोन्नयन के लिए मानक निर्धारित करना और चिकित्सा और सहबद्ध विशेषज्ञताओं में नए विभाग और अध्यापन केन्द्र आरम्भ करना;
- (च) ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो विहित की जाएं, सम्मानिक उपाधियां और अन्य उपाधियां प्रदान करना;
- (छ) ऐसी शर्तें विहित करना जिनके अधीन किसी उपाधि, टाइटल, डिप्लोमा और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि का प्रदान किया जाना रोका जा सकेगा;
- (ज) विश्वविद्यालय-महाविद्यालय, अस्पतालों और प्रयोगशालाओं तथा अनुसंधान पुस्तकालय के संस्थानों तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अन्य संस्थाएं संस्थित, अनुरक्षित और प्रशासित करना;
- (झ) महाविद्यालयों और संस्थाओं की सहबद्धता या मान्यता के लिए शर्तें विहित करना और ऐसी शर्तें अधिकथित करना जिनके अधीन ऐसी सहबद्धता या मान्यता वापस ली जा सके या निलंबित की जा सकें;
- (ञ) चिकित्सा संकाय के लिए पर्याप्त पदों का सृजन करने और उन्हें भरने के लिए शर्तें विहित करना;
- (ट) मानद आचार्य पद, सचल या अभ्यागत प्राचार्य पद, सचल अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, प्रोत्साहन, पुरस्कार या अध्ययन और अनुसंधान के लिए अन्य प्रकार के प्रोत्साहन विहित रीति में संस्थित और प्रदान करना;
- (ठ) ऐसे उपाय संस्थित और कार्यान्वित करना जो छात्रों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए और सहबद्ध महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक हों;
- (ड) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन और प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के स्वामित्वाधीन या इसे अन्तरित समस्त चल और अचल सम्पत्ति का प्रबंधन और नियन्त्रण;
- (ढ) किसी विन्यास, दान या निधियों, जो अनुदान, वसीयती अभिसाक्ष्य के माध्यम से या अन्यथा विश्वविद्यालय में निहित की जाएं, को स्वीकार करना, धारण करना और प्रबंध करना और ऐसे विन्यास, दान या निधि का ऐसी रीति में, जैसी विश्वविद्यालय उचित समझे, विनिधान करना :

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा सरकार के अनुमोदन के बिना विदेश, विदेशी प्रतिष्ठापन या ऐसे देश या प्रतिष्ठापन में किसी व्यक्ति से कोई दान स्वीकार नहीं किया जाएगा;

- (ण) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बैंकों, अन्य निगमित निकायों से ऐसे प्रयोजन के लिए, जो सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए, प्रतिभूति सहित या उसके बिना धन उधार लेना;
- (त) फीस नियत करना, ऐसी फीस की माँग करना, जो विहित की जाए और उसका संग्रहण करना;
- (थ) स्वास्थ्य विज्ञान की अनुसंधान विद्या शाखाओं का उन्नयन (अभिवृद्धि) करना और संचालन करना तथा गुणवत्ता के कार्यों के प्रकाशन का जिम्मा लेना;
- (द) भारत के भीतर या भारत के बाहर उन प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए, जो इस विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के समान हैं, ऐसे निबन्धनों और शर्तों, जो समय-समय पर विहित की जाएं, पर किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण, संस्थाओं, वृत्तिक अकादमी या संगम या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट निकाय के साथ सहकार करना;
- (ध) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों, अनुसंधान केन्द्रों, संग्रहालयों, प्रैस और प्रकाशन ब्यूरो की स्थापना करना और उनका अनुरक्षण करना; और
- (न) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना चाहे उपरोक्त शक्तियों और कृत्यों के आनुषंगिक हो या न हों।

7. अधिकारिता और प्रवेश के विशेषाधिकार.—(1) राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान में शिक्षा प्रदान करने वाला कोई भी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की सहमति और सरकार की स्वीकृति से अन्यथा भारत या विदेश में किसी अन्य विश्वविद्यालय के साथ सहबद्ध नहीं होगा या किसी विशेषाधिकार को स्वीकार नहीं करेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, राज्य में किसी चिकित्सीय महाविद्यालय या स्वास्थ्य विज्ञान की किसी संस्था द्वारा किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्वीकार्य (उपभोग्य) ऐसे किसी विशेषाधिकार को ऐसी तारीख, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, से प्रत्याहृत समझा जाएगा।

(3) राज्य में पहले ही किसी अन्य विश्वविद्यालय या सहबद्धकारी निकाय परिषद् से विशेषाधिकार प्राप्त या सहबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान के समस्त महाविद्यालय और अन्य शैक्षिक संस्थाएं इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से विश्वविद्यालय से विशेषाधिकार प्राप्त या सहबद्ध समझी जाएंगी।

8. विश्वविद्यालय का सभी के लिए खुला होना.—(1) किसी भी व्यक्ति को जाति, पंथ, लिंग या धर्म के एकमात्र आधार पर विश्वविद्यालय का कोई पद देने या इसके किसी प्राधिकरण की सदस्यता देने या किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य शैक्षिक विद्या शाखा या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश देने से इन्कार नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय, सरकार के विशेष या साधारण निदेशों के अनुसार, किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से सहबद्ध या विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित संस्था में प्रवेश के प्रयोजन के लिए सीटें (स्थान) आरक्षित करेगा।

9. सरकारी महाविद्यालयों का विश्वविद्यालय के लिए अन्तरण.—(1) सरकार, किसी भी समय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्वास्थ्य विज्ञान के किसी सरकारी महाविद्यालय या अस्पताल को विश्वविद्यालय को

अन्तरित कर सकेगी और ऐसे अन्तरण की तारीख से, यथास्थिति, उक्त महाविद्यालय या अस्पताल, विश्वविद्यालय—महाविद्यालय और अस्पताल होगा।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय को कोई सरकारी महाविद्यालय या अस्पताल अन्तरित किया जाता है तो निम्नलिखित परिणाम सुनिश्चित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(क) यथास्थिति, उक्त महाविद्यालय या अस्पताल से सम्बन्धित सम्पत्तियों और दायित्वों सहित समस्त परिसम्पत्तियां विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जाएंगी और उसमें निहित हो जाएंगी; और

(ख) अन्तरित महाविद्यालय या अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के विभाग में कार्यरत समस्त अध्यापन और अध्यापनेतर कर्मचारी जो या तो स्थायी या परिवीक्षा पर हैं, यदि विश्वविद्यालय द्वारा उपयुक्त पाए जाते हैं तो विश्वविद्यालय द्वारा अपनी सेवा में लिए जाएंगे:

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यक्ति तब तक अपनी सेवा में नहीं लिया जाएगा जब तक कि ऐसा कर्मचारी लिखित में अपना विकल्प नहीं दे देता है :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की अपेक्षा से अतिशेष या विश्वविद्यालय की सेवा के लिए अपात्र पाए गए या विश्वविद्यालय को स्थानान्तरण के लिए सहमति न देने वाले और स्थायी पदों के विरुद्ध धारणाधिकार धारण करने वाले कर्मचारियों को सरकार द्वारा कहीं भी आमेलित किया जाएगा।

10. निरीक्षण और नियन्त्रण.—(1) कुलाधिपति को, सरकार के परामर्श पर विश्वविद्यालय के कार्यकलापों और सम्पत्तियों का, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित, सहबद्ध, मान्यता प्राप्त या अनुमोदित किसी महाविद्यालय या संस्था और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या करवाई गई परीक्षाओं या शिक्षण और अन्य कार्य या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अन्य मामलों की बाबत, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जैसा यह निदेश दे, निरीक्षण या जाँच करवाने का अधिकार होगा।

(2) कुलाधिपति, प्रबंध बोर्ड की राय अभिप्राप्त करने के लिए निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति कुलपति को अग्रेषित करेगा और ऐसी राय की प्राप्ति पर कुलाधिपति ऐसे निदेश, जो वह आवश्यक समझे, दे सकेगा और विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए समय सीमा नियत करेगा।

(3) प्रबंध बोर्ड, कुलाधिपति द्वारा नियत समय सीमा के भीतर उपधारा (2) के अधीन की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, कुलपति के माध्यम से, कुलाधिपति को देगा।

(4) जहां प्रबंध बोर्ड, नियत समय सीमा के भीतर सरकार के समाधानप्रद कार्रवाई नहीं करता है तो कुलाधिपति सरकार के परामर्श पर, प्रबंध बोर्ड द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे निदेश, जो उचित समझे, जारी करेगा और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों की अनुपालना करने के लिए बाध्यकर होगा।

(5) ऐसे मामलों में कुलाधिपति अंतिम अपील प्राधिकारी होगा।

11. क्षेत्रीय इकाइयों की स्थापना.—विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य देखभाल परिदान कार्यक्रमों की दक्षता और प्रभाविकता का निर्धारण करने तथा नई तकनीकों और पद्धतियों की प्रसुविधाओं का प्रसार करने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली अनुसंधान हेतु क्षेत्रीय इकाइयां विकसित करेगा और इस प्रयोजन के लिए राज्य अभिकरण समस्त आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

अध्याय-3

विश्वविद्यालय के अधिकारी

12. विश्वविद्यालय का कुलाधिपति.—(1) राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश अपने पदाभिधान से, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।

(2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा और जब वह उपस्थित हो तो वह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(3) किसी भी व्यक्ति को, कुलाधिपति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानिक उपाधियां प्रदत्त की जाएंगी।

(4) कुलाधिपति, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए परिनियमों के अधीन उसे प्रदत्त किए जाएं।

13. विश्वविद्यालय के अधिकारी.—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :-

(क) कुलपति;

(ख) संकायाध्यक्ष;

(ग) रजिस्ट्रार;

(घ) परीक्षा नियन्त्रक;

(ङ) वित्त अधिकारी; और

(च) ऐसे अन्य अधिकारी जो विश्वविद्यालय द्वारा परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

14. कुलपति.—(1) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक और निवासी अधिकारी होगा।

(2) कुलपति को सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(3) कुलपति, अधिमानतः स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सेवारत या सेवानिवृत्त प्रख्यात वृत्तिकों में से नियुक्त किया जाएगा।

(4) कुलपति, कुलाधिपति के प्रसादानुसार तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और सरकार के परामर्श पर वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा, किन्तु पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् नहीं।

(5) कुलाधिपति, कुलपति के पारिश्रमिक की रकम और सेवा की अन्य शर्तें अवधारित करेगा और ऐसे निबन्धन और शर्तें उसकी पदावधि के दौरान उसके अहित में परिवर्तित नहीं की जाएंगी।

(6) जब कुलपति के कार्यालय में छुट्टी, बीमारी या किसी अन्य कारण से कोई अस्थायी रिक्ति होती है तो कुलाधिपति, प्रबंध बोर्ड के परामर्श से, कुलपति के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसा प्रबंध करेगा जैसा वह उचित समझे :

परन्तु कुलाधिपति द्वारा ऐसे प्रबंध किए जाने तक, कुलपति प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों में से किसी एक व्यक्ति को एक मास से अनधिक अवधि के लिए या जब तक कि कुलाधिपति द्वारा प्रबंध न कर दिया जाए, जो भी पूर्वतर हो, कुलपति के वर्तमान कर्तव्यों का प्रभारी पदाभिहित कर सकेगा।

15. कुलपति की शक्तियाँ और कर्तव्य.—(1) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियन्त्रण रखेगा तथा विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकरणों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा। वह विश्वविद्यालय में सम्यक् अनुशासन बनाए रखने के लिए समस्त आवश्यक शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(2) कुलपति, यदि उसकी राय में किसी मामले पर तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण पर प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे मामलों पर उसके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में ऐसे प्राधिकरण को सूचित करेगा और उसके लिए परिशोधन अभिप्राप्त करेगा :

परन्तु यदि सम्बद्ध प्राधिकरण की यह राय है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह कुलाधिपति को मामला निर्दिष्ट कर सकेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(4) कुलपति सिनेट, प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद् और वित्त समिति की बैठक बुलाएगा और वह लिखित में आदेश द्वारा विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी को उक्त कोई बैठक बुलाने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा। कुलपति प्रबंध बोर्ड का पदेन संयोजक तथा सिनेट, विद्या परिषद् और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा तथा अध्यक्ष की हैसियत से इन निकायों की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(5) कुलपति इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों का सर्वथा अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(6) कुलपति, विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन और प्रबन्ध बोर्ड के वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) कुलपति, विश्वविद्यालय के समुचित प्रशासन तथा अध्यापन, अनुसंधान और ज्ञान के प्रसार के गहन समन्वयन और एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

16. प्रतिकुलपति.—(1) प्रतिकुलपति को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) प्रतिकुलपति तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा जिसे, सरकार के परामर्श पर, कुलाधिपति द्वारा एक बार में तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(3) प्रतिकुलपति के पारिश्रमिक की रकम और सेवा की अन्य शर्तों का अवधारण कुलाधिपति करेगा।

(4) प्रतिकुलपति प्रबंध बोर्ड का सदस्य-सचिव होगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो कुलाधिपति द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(5) कुलपति की बीमारी, अनुपस्थिति या छुट्टी या किसी अन्य अनिश्चित परिस्थिति की दशा में प्रतिकुलपति, विश्वविद्यालय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जैसे प्रबंध बोर्ड द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(6) प्रतिकुलपति की बीमारी या अनुपस्थिति या छुट्टी या किसी अनिश्चित परिस्थिति की दशा में कुलाधिपति, प्रबंध बोर्ड के परामर्श पर विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों में से किसी एक व्यक्ति को प्रतिकुलपति के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा या प्रतिकुलपति की अनुपस्थिति के दौरान ऐसे अन्य प्रबन्ध करेगा जो वह कारबार को निपटाने के लिए उचित समझे।

17. संकायाध्यक्ष.—विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों की नियुक्ति और शक्तियों तथा कर्तव्यों की रीति ऐसी होगी जो परिनियमों में विहित की जाए।

18. रजिस्ट्रार.—(1) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसे प्रबंध बोर्ड द्वारा, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी विहित की जाएं, नियुक्त किया जाएगा।

(2) रजिस्ट्रार निम्नलिखित में से नियुक्त किया जाएगा,—

(क) स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र के शिक्षकों में से जो पांच वर्ष की अवस्थिति सहित आचार्य की पंक्ति से नीचे के न हों; या

(ख) सरकार के अधिकारियों में से, जो सरकार में अतिरिक्त सचिव की पंक्ति से नीचे के न हों; या

(ग) देश में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, आयुर्विज्ञान या तकनीकी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों में से स्थानान्तरण द्वारा।

(3) रजिस्ट्रार चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और अगले चार वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा :

परन्तु रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या के पश्चात् पदधारण नहीं करेगा।

(4) रजिस्ट्रार सिनेट, विद्या परिषद् और वित्त समिति का पदेन—सदस्य होगा किन्तु इन प्राधिकरणों का सदस्य नहीं समझा जाएगा।

(5) जब रजिस्ट्रार का पद रिक्त हो या जब रजिस्ट्रार बीमारी या अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से पद के कृत्यों का पालन करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ रहता है तो रजिस्ट्रार के पद के कृत्यों और कर्तव्यों का अनुपालन या निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित करे।

(6) रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि,—

(क) वह वित्त समिति और प्रबंध बोर्ड के विनिश्चय के अनुसार न्यासों को और विन्यस्त सम्पत्ति सहित विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और विनिधानों (निवेशों) का प्रबन्धन करे;

(ख) वह अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य सम्पत्तियों का अभिरक्षक होगा जिन्हें प्रबंध बोर्ड उसके भारसाधन में उसके सपुर्द करे; और

(ग) वह सिनेट, प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद् और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा गठित किसी अन्य समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए नोटिस जारी करे।

(7) रजिस्ट्रार ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ऐसे कृत्यों का पालन करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं।

(8) विश्वविद्यालय द्वारा या के विरुद्ध समस्त वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों में, अभिवचन रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किए जाएंगे और ऐसे वादों और कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं रजिस्ट्रार को जारी और तामील की जाएंगी।

19. परीक्षा नियन्त्रक.—(1) परीक्षा नियन्त्रक प्रबंध बोर्ड द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) वह विश्वविद्यालय में परीक्षाएं संचालित करने और उनसे सम्बद्ध मामलों के लिए भारसाधक होगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं या कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, का पालन करेगा।

(3) परीक्षा नियन्त्रक के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

20. वित्त अधिकारी.—(1) वित्त अधिकारी, प्रबंध बोर्ड द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। वह ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यक्षीन पद धारण करेगा, जो विहित की जाएं।

(2) वित्त अधिकारी वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन, लेखों के वार्षिक विवरण और तुलन-पत्र तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा और विश्वविद्यालय की निधियों पर साधारण पर्यवेक्षण और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा, जो उसको प्रबंध बोर्ड द्वारा सौंपे जाएं या जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(3) वित्त अधिकारी की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

21. अन्य अधिकारी.—धारा 13 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियां और कर्तव्य तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

22. विश्वविद्यालय के अधिकारियों का परिनियमों द्वारा उपबंधित से अन्यथा पारिश्रमिक स्वीकार न करना.—जैसा परिनियमों या उनके वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने वाले आदेशों में उपबंधित है के सिवाय, विश्वविद्यालय के अधिकारियों को विश्वविद्यालय में किसी कार्य हेतु न तो कोई पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा और न ही वे इसे स्वीकार करेंगे।

अध्याय-4

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

23. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :-

(क) प्रबन्ध बोर्ड;

(ख) विद्या परिषद्;

(ग) योजना बोर्ड;

(घ) वित्त समिति;

(ङ) संकाय; और

(च) ऐसे अन्य निकाय, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं।

24. सिनेट.—(1) सिनेट, सरकार के परामर्श पर, कुलाधिपति द्वारा गठित एक सलाहकारी निकाय होगी और इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(i) कुलपति;

(ii) सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार (चिकित्सा शिक्षा विभाग) या उसका नामनिर्देशिती जो सरकार के अतिरिक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो;

- (iii) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, हिमाचल प्रदेश;
- (iv) निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, हिमाचल प्रदेश;
- (v) विधान सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले हिमाचल प्रदेश विधान सभा के तीन सदस्य;
- (vi) स्वास्थ्य विज्ञान में विशेष अभिरूचि रखने वाले व्यक्तियों में से चार सदस्य;
- (vii) आयु के अनुसार, चक्रानुक्रम द्वारा, दो वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय से सहबद्ध चिकित्सा महाविद्यालय के तीन प्रमुख;
- (viii) आयु के अनुसार, चक्रानुक्रम द्वारा, दो वर्ष की अवधि के लिए दन्त-चिकित्सा महाविद्यालयों का एक प्रमुख;
- (ix) दो वर्ष की अवधि के लिए आयु के अनुसार, चक्रानुक्रम द्वारा होम्योपैथी, आयुर्वेद या अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धति महाविद्यालय का एक प्रमुख;
- (x) दो वर्ष की अवधि के लिए आयु के अनुसार, चक्रानुक्रम द्वारा नर्सिंग महाविद्यालय या अन्य सह-चिकित्सीय विज्ञान महाविद्यालय का एक प्रमुख;
- (xi) आयु के अनुसार, चक्रानुक्रम द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के आचार्यों में से तीन आचार्य;
- (xii) आयु के अनुसार, चक्रानुक्रम द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए दंत-चिकित्सा महाविद्यालयों के आचार्यों में से एक आचार्य;
- (xiii) आयु के अनुसार, चक्रानुक्रम द्वारा, दो वर्ष की अवधि के लिए होम्योपैथी, आयुर्वेद या अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धति महाविद्यालयों के आचार्यों में से एक आचार्य;
- (xiv) आयु के अनुसार, चक्रानुक्रम द्वारा, दो वर्ष की अवधि के लिए नर्सिंग या अन्य सह-चिकित्सीय महाविद्यालयों के आचार्यों या विभागाध्यक्षों में से एक आचार्य या विभागाध्यक्ष;
- (xv) आयु के अनुसार, चक्रानुक्रम द्वारा, दो वर्ष की अवधि के लिए आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के आचार्यों से अन्यथा तीन शिक्षक;
- (xvi) आयु के अनुसार, चक्रानुक्रम द्वारा, दो वर्ष की अवधि के लिए दन्त-चिकित्सा महाविद्यालयों के आचार्य से अन्यथा एक शिक्षक;
- (xvii) आयु के अनुसार, चक्रानुक्रम द्वारा, दो वर्ष की अवधि के लिए होम्योपैथी, आयुर्वेद और अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धति महाविद्यालयों के आचार्यों से अन्यथा एक शिक्षक;
- (xviii) आयु के अनुसार, चक्रानुक्रम द्वारा, दो वर्ष की अवधि के लिए नर्सिंग और अन्य सह-चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालयों के आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यथा एक शिक्षक;
- (xix) हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रख्यात भेषजी और चिकित्सा उपस्कर विनिर्माताओं में से एक व्यक्ति;
- (xx) वित्त विभाग से एक व्यक्ति जो सरकार के अतिरिक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो;
- (xxi) राज्य के प्रख्यात शिक्षाविदों, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष या भारतीय चिकित्सा परिषद् या स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में किसी अन्य कानूनी वृत्तिक परिषद् के सदस्य हों, में से एक व्यक्ति;

(xxii) दो वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय का एक गैर-शिक्षक कर्मचारी; और

(xxiii) दो वर्ष की अवधि के लिए व्यष्टियों या संगठनों में से दो सदस्य जिन्होंने विश्वविद्यालय या इससे सहबद्ध महाविद्यालयों या अस्पतालों के लिए कम से कम दस लाख रुपए या इससे अधिक की रकम का या तो नकद में या वस्तु रूप में दान किया है।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सिनेट का कोई सदस्य, सदस्य नहीं रहेगा यदि वह मूल निकाय, जिससे वह संबंधित है, का सदस्य नहीं रहता है या सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है।

25. सिनेट की बैठकें.—(1) सिनेट की बैठकें, कुलपति द्वारा नियत तारीखों को, वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाएंगी। ऐसी बैठकों में से एक वार्षिक बैठक होगी।

(2) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की रिपोर्ट, प्राप्तियों और व्यय के विवरण, वित्तीय प्राक्कलनों और अंतिम संपरीक्षा रिपोर्ट सहित सिनेट की वार्षिक बैठक में सिनेट के विचारार्थ प्रस्तुत की जाएगी।

(3) कुलपति, जब कभी वह उचित समझे या सिनेट के एक-तिहाई सदस्यों से अन्यून द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में अध्यक्षता पर सिनेट की विशेष बैठक आयोजित कर सकेगा।

26. सिनेट की शक्तियाँ और कृत्य.—इस अधिनियम के उपबंधों के अधधीन, सिनेट की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :-

- (क) विश्वविद्यालय की विस्तृत नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनमें सुधार तथा विश्वविद्यालय के विकास हेतु उपाय सुझाना;
- (ख) किसी मामले, जो उसे परामर्श हेतु निर्देशित किया जाए, की बाबत कुलाधिपति को परामर्श देना; और
- (ग) ऐसे अन्य कर्तव्यों और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन या कुलाधिपति द्वारा सौंपे जाएं।

27. प्रबंध बोर्ड.—(1) प्रबंध बोर्ड का गठन कुलाधिपति द्वारा, सरकार के परामर्श पर किया जाएगा और वह निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

- | | |
|--|---------------|
| (i) कुलपति | पदेन अध्यक्ष; |
| (ii) सरकार का मुख्य सचिव | पदेन—सदस्य; |
| (iii) सरकार का सचिव
(चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग) | पदेन—सदस्य; |
| (iv) सरकार का सचिव
(वित्त विभाग) | पदेन—सदस्य; |
| (v) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा
और अनुसंधान, हिमाचल प्रदेश | पदेन—सदस्य; |
| (vi) सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले तीन विख्यात सदस्य | सदस्य; और |

- (vii) स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा और अनुसंधान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय योगदान वाले पांच ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिनमें से राज्य से कम से कम तीन व्यक्ति, प्रथम प्रबन्ध बोर्ड के गठन के लिए सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे और तत्पश्चात् जो नियमों के अधीन इसके लिए उपबन्धित हो

(2) रजिस्ट्रार, प्रबंध बोर्ड का सचिव होगा।

(3) प्रबंध बोर्ड के नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष की होगी और पदेन सदस्यों की दशा में कार्यकाल उनके द्वारा धारित पदों की अवधि के साथ समाप्त हो जाएगा।

(4) बैठक के लिए प्रबंध बोर्ड की गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी।

(5) अध्यक्ष, प्रबंध बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में आयु में वरिष्ठ सदस्य ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(6) प्रथम प्रबंध बोर्ड सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक मास के भीतर गठित किया जाएगा।

28. प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य.—(1) प्रबंध बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी प्राधिकरण होगा।

(2) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

29. विद्या परिषद्.—(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अध्याधीन विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियों पर समन्वय करेगी और उन पर और साधारण पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करेगी तथा विश्वविद्यालय के भीतर शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा इसको प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

(2) विद्या परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

- (i) कुलपति;
- (ii) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान;
- (iii) विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष;
- (iv) विश्वविद्यालय से सहबद्ध महाविद्यालयों, जिनका संकायाध्यक्षों द्वारा प्रतिनिधित्व न किया गया हो, के प्रमुख; और
- (v) स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा में दो ख्याति-प्राप्त विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय या इसके सहबद्ध महाविद्यालयों से बाहर के हों।

30. विद्या परिषद् की शक्तियाँ और कृत्य.—(1) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अध्याधीन, विद्या परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:—

(क) विनियम बनाना और उनका संशोधन या निरसन करना;

(ख) विश्वविद्यालय में अनुसंधान के संवर्धन पर प्रबंध बोर्ड को परामर्श देना; और

(ग) शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यक्रमों में पुनर्विलोकन और नवपरिवर्तन करने के लिए उपाय सुझाना।

(2) विद्या परिषद् साधारणतया वर्ष में दो बैठकें करेगी। तथापि विद्या परिषद् अन्य ऐसे अवसरों पर भी बैठक कर सकेगी जैसा कुलपति द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(3) विद्या परिषद् की बैठक के लिए अपेक्षित गणपूर्ति, विद्या परिषद् के कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक होगी।

(4) कुलपति, विद्या परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। यदि कुलपति किसी कारणवश विद्या परिषद् की किसी बैठक में उपस्थित नहीं हो सकता है तो वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

31. योजना बोर्ड.—योजना बोर्ड का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

32. वित्त समिति.—वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

33. संकाय.—विश्वविद्यालय के संकाय, उनका गठन, कृत्य और शक्तियां ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

34. अध्ययन बोर्ड.—विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय से सहबद्ध एक अध्ययन बोर्ड होगा। अध्ययन बोर्ड का गठन और शक्तियां ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

अध्याय—5

वित्त और लेखे

35. सामान्य निधि.—विश्वविद्यालय की एक साधारण निधि होगी जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा,—

(क) फीसों, विन्यास और अनुदान से इसकी आय और विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत होने वाली कोई अन्य आय;

(ख) सरकार से ऐसी शर्तों पर अनुदान, जो सरकार द्वारा अधिरोपित की जाएं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अन्तर्राष्ट्रीय दाता अभिकरणों जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल निधि से अनुदान।

36. अन्य निधियां.— विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य निधियां हो सकेंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

37. उधार लेने की शक्ति.—विश्वविद्यालय परिनियमों द्वारा विहित किन्ही प्रयोजनों के लिए, किसी बैंक या किसी निगम से धन उधार ले सकेगा। यदि उधार ली जाने वाली कुल रकम पच्चीस लाख रुपये से अधिक हो तो ऐसी उधारी के लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

38. निधियों का प्रबंध.—विश्वविद्यालय की समस्त निधियों का प्रबंध ऐसी रीति में किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

39. सरकार की संपरीक्षा करने के निदेश देने की शक्ति.—सरकार को, विश्वविद्यालय के लेखों की ऐसे संपरीक्षकों द्वारा, जो वह निदेश दे, विशेष संपरीक्षा करने के आदेश देने की शक्ति होगी।

40. वित्तीय प्राक्कलन.—(1) कुलपति, ऐसी तारीख को, जो विहित की जाए, या उससे पूर्व आगामी वर्ष के लिए विश्वविद्यालय के वित्तीय प्राक्कलनों को तैयार करवाएगा और उसे प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रबंध बोर्ड वित्तीय प्राक्कलनों को, ऐसे उपान्तरणों सहित, जैसे वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगा और कोई भी व्यय प्रबंध बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित वित्तीय प्राक्कलनों के अनुसार के सिवाय, उपगत नहीं किया जाएगा।

41. वार्षिक लेखे और संपरीक्षा.—विश्वविद्यालय की आय और व्ययों के लेखे, प्रतिवर्ष एक बार सरकार को, ऐसे परीक्षण और संपरीक्षा के लिए, जैसा सरकार निदेश दे, प्रस्तुत किए जाएंगे।

42. वार्षिक रिपोर्ट.—विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंध बोर्ड के निदेशाधीन तैयार की जाएगी और ऐसी तारीख को, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, या उससे पूर्व सिनेट को प्रस्तुत की जाएगी और उस पर सिनेट द्वारा, उसकी वार्षिक बैठक में विचार किया जाएगा।

अध्याय—6

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

43. परिनियम.—इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन, परिनियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे,—

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और ऐसे अन्य निकायों का गठन, कृत्य और शक्तियां, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित की जाएं;
- (ख) उक्त प्राधिकरणों या निकायों के सदस्यों का पद पर बने रहना, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और अन्य प्राधिकरणों से सम्बन्धित ऐसे अन्य मामले;
- (ग) सम्मानिक उपाधियां प्रदान करना;
- (घ) उपाधियां प्रदान करने के लिए दीक्षान्त समारोह आयोजित करना;
- (ङ) उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों तथा अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियों को वापस लेना;
- (च) संकायों, विभागों, होस्टलों, महाविद्यालयों और संस्थानों का स्थापन, अनुरक्षण और समाप्ति;
- (छ) महाविद्यालयों को सहबद्ध किए जाने की शर्तें और वह शर्तें जिनके अधीन सहबद्धता वापस ली जा सकेगी;
- (ज) एमेरिटस (मानद) आचार्यपद, अभ्यागत आचार्यपद, अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;
- (झ) कारबार के संव्यवहार के लिए गणपूर्ति के अनुबन्ध सहित प्राधिकरणों की बैठक में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जहां, ऐसे अनुबन्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत पहले नहीं किए गए हैं;

- (ज) शिक्षकों और विश्वविद्यालयों और उससे सहबद्ध महाविद्यालयों के अन्य पदों का वर्गीकरण और नाम पद्धति;
- (ट) वसीयतों, संदानों (दान) और विन्यासों का प्रतिग्रहण और प्रबन्ध; और
- (ठ) अन्य समस्त मामले, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन परिनियम बनाए जाने अपेक्षित हैं।

44. परिनियमों का बनाया जाना.—(1) प्रबन्ध बोर्ड, समय-समय पर परिनियम बना सकेगा या उनका संशोधन और निरसन कर सकेगा;

(2) प्रत्येक परिनियम या उसमें किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो सरकार के परामर्श पर इसे मंजूर कर सकेगा, अननुज्ञात कर सकेगा या आगामी विचारार्थ विप्रेषित कर सकेगा;

(3) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा पारित कोई भी परिनियम, तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए और यह इसके अनुमोदन की तारीख से या ऐसी अन्य तारीख से जो कुलाधिपति नियत करे प्रवृत्त होगा।

45. अध्यादेश.—(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यादेश निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे,—

- (क) विश्वविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;
- (ख) विश्वविद्यालय की समस्त उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम;
- (ग) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियां, डिप्लोमों, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां, उनके लिए अर्हताएं तथा उन्हें प्रदान किए जाने और अभिप्राप्त किए जाने के लिए अंगीकृत की जाने वाली प्रक्रिया;
- (घ) विश्वविद्यालय और इससे सहबद्ध महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की उपाधियों और डिप्लोमों की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;
- (ङ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को प्रदान करने की शर्तें;
- (च) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटरज) की पदावधि और नियुक्ति की रीति तथा कर्त्तव्यों सहित परीक्षाओं का संचालन;
- (छ) विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाए रखना;
- (ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;
- (झ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अध्यापनेतर कर्मचारियों की उपलब्धियां और सेवा की शर्तें और निबन्धन;
- (ञ) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या प्रशासित महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं का प्रबन्ध;
- (ट) विश्वविद्यालय से विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालयों और अन्य संस्थानों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण;

(ठ) समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित किए जाने हैं/किए जा सकेंगे।

46. अध्यादेशों का बनाया जाना.—(1) अध्यादेश, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा बनाए, संशोधित या निरसित किए जाएंगे :

परन्तु,—

(क) छात्रों को प्रवेश देने और उनका नाम दर्ज करने या विहित परीक्षाओं को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता देने; या

(ख) परीक्षकों की नियुक्ति शर्तों, पद्धति या उनके कर्तव्यों अथवा परीक्षाओं या किसी पाठ्यक्रम के संचालन या स्तर को, प्रभावित करने वाला कोई अध्यादेश, विद्या परिषद् की सिफारिशों के अनुसार बनाया जाएगा।

(2) यदि प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद् की सिफारिशों से सहमत नहीं होता है, तो वह इसे या तो पूर्णतया या भागतः किसी संशोधन के सहित, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सुझाया जाए, विद्या परिषद् के पुनर्विचार के लिए वापस कर सकेगा या वह सिफारिशों को इनके दूसरी बार प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् अस्वीकृत भी कर सकेगा।

(3) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश ऐसी तारीख, जो प्रबन्ध बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, से प्रभावी होगा और इसे कुलाधिपति को सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

47. विनियमों का बनाया जाना.—(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, उन मामलों की बाबत जो उनके अधिकार में है, इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे।

(2) विनियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे,—

(क) अध्यापन और अध्यापनेतर दोनों पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया;

(ख) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के आचरण और उनके कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार तथा गलतियों (त्रुटियों) की दशा में उनके विरुद्ध अपनाई जाने वाली अनुशासनिक प्रक्रिया;

(ग) प्रत्येक प्राधिकरण के सदस्यों को, बैठकों की तारीखों की सूचना देना;

(घ) बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; और

(ङ) ऐसे प्राधिकरण से सम्बन्धित समस्त वे मामले जिनके बारे में इस अधिनियम, तद्धीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों के अधीन कोई उपबन्ध नहीं किया गया है।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से प्रवृत्त होगा।

अध्याय-7

महाविद्यालयों की सहबद्धता और संस्थाओं की मान्यता

48. महाविद्यालयों की सहबद्धता.—(1) विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर अवस्थित स्वास्थ्य विज्ञान की विभिन्न विद्या शाखाओं से संबन्धित महाविद्यालय, ऐसी शर्तों का समाधान होने पर जो सहबद्धता के प्रयोजनों के लिए परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जाएं, विश्वविद्यालय से सहबद्ध हो सकेंगे।

(2) सहबद्धता द्वारा महाविद्यालयों को प्रदत्त अधिकार पूर्णतः या भागतः वापस लिए जा सकेंगे या उपांतरित किए जा सकेंगे यदि महाविद्यालय, सहबद्धता को विनियमित करने वाले परिनियमों या अध्यादेशों के किसी उपबन्ध का अनुपालन करने में असफल हो गया है या यदि महाविद्यालय के कार्याकलाप ऐसी रीति में संचालित किए जा रहे हैं जो शिक्षा के हितों के प्रतिकूल हैं।

49. महाविद्यालयों से अन्यथा संस्थाओं की मान्यता.—(1) विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर या बाहर स्थित किसी संस्था, जो विनिर्दिष्ट अनुसंधान या अध्ययन संचालित करती है, को प्रबन्ध बोर्ड द्वारा, ऐसे प्रयोजन के लिए और ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में मान्यता दी जा सकेगी।

(2) ऐसी किसी मान्यता को ऐसी रीति में और ऐसे कारणों से, जैसे परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं या तो पूर्णतः या भागतः वापस लिया जा सकेगा या उपांतरित किया जा सकेगा।

50. महाविद्यालयों का निरीक्षण और रिपोर्ट.—(1) प्रत्येक सहबद्ध महाविद्यालय, रजिस्ट्रार को ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां और अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा जैसी प्रबन्ध बोर्ड द्वारा महाविद्यालय या संस्था की दक्षता के आकलन के अपेक्षित हों।

(2) प्रबन्ध बोर्ड ऐसे प्रत्येक महाविद्यालय का किसी प्राधिकरण या इसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण करवाएगा।

(3) प्रबन्ध बोर्ड इस प्रकार निरीक्षित किसी भी महाविद्यालय से, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी कार्यवाई करने हेतु अपेक्षा करेगा जैसी उपधारा (2) में निर्दिष्ट निरीक्षण की बाबत इसे आवश्यक प्रतीत हो।

अध्याय-8

विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

51. विभिन्न पदों पर नियुक्तियां.—(1) विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करते समय, विश्वविद्यालय, प्रत्येक कर्मचारी द्वारा पूरे किए जाने वाले संकर्मों की गुणवत्ता से समझौता किए बिना दक्षता और मितव्ययता को अधिमान देगा।

(2) अत्यधिक जनशक्ति का सृजन नहीं किया जाएगा और जहां कहीं सम्भव हो, विश्वविद्यालय, कर्मचारियों को संविदा के आधार पर ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन जैसी विहित की जाएं, नियुक्त करेगा।

(3) प्रशासनिक कार्य और अभिलेख का अनुरक्षण दक्षता, मितव्ययता और पारदर्शिता हेतु यथासंभव आधुनिक तरीकों जैसे कि कम्प्यूटरीकरण द्वारा संचालित किया जा सकेगा।

(4) विश्वविद्यालय के अध्यापन और अध्यापनेतर कर्मचारियों के चयन और नियुक्ति की पद्धति, पारिश्रमिक, सेवा के निबन्धन और शर्तें, जो इस अधिनियम में पहले से अधिकथित नहीं हैं, ऐसी होगी जैसी परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

52. अभ्यागत प्राचार्य.—धारा 51 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रबन्ध बोर्ड, कुलपति की सिफारिशों पर, विश्वविद्यालय में अभ्यागत प्राचार्य के पद को स्वीकार करने हेतु, उच्च शैक्षणिक विशिष्टताएं और वृत्तिक योग्यता वाले किसी व्यक्ति को, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी एक समय पर एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पारस्परिक करार पाई जाए, आमन्त्रित करने के लिए सक्षम होगा।

अध्याय-9

साधारण

53. सदभावपूर्वक की गई कार्यवाई के लिए संरक्षण.—इस अधिनियम, परिनियमों या तदधीन बनाए गए अध्यादेशों के किसी भी उपबन्ध के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के विरुद्ध नहीं होंगी।

54. रिक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.—इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण का कोई भी कृत्य या की गई कार्यवाहियां मात्र निम्नलिखित आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी,—

- (क) किसी रिक्ति या प्राधिकरण के गठन में त्रुटि अथवा किसी व्यक्ति के उसका सदस्य के रूप में कार्य करने के कारण; या
- (ख) किसी व्यक्ति के उसके सदस्य के रूप में कार्य करने के कारण नामनिर्देशन या नियुक्ति में किसी त्रुटि या अनियमितता के कारण; या
- (ग) मामले के गुणागुण को प्रभावित न करने वाले ऐसे कृत्य या कार्यवाही में किसी त्रुटि या अनियमितता के कारण।

55. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और निकायों के गठन के विषय के बारे में विवाद.—यदि कोई प्रश्न उठता है कि किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या विश्वविद्यालय के किसी निकाय का सम्यक् रूप से सदस्य नामनिर्दिष्ट किया गया है अथवा वह सदस्य बनाए जाने का हकदार है तो ऐसा प्रश्न कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

56. प्रथम कुलपति की अस्थायी शक्तियां.—(1) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर या एक वर्ष से अनधिक की ऐसी दीर्घतर अवधि के भीतर, जैसी सरकार अधिसूचना द्वारा निदेशित करे, प्रबन्ध बोर्ड से अन्यथा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के गठन के लिए व्यवस्था करे।

(2) प्रथम कुलपति, प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन के साथ, ऐसे अध्यादेश और परिनियम बना सकेगा जो विश्वविद्यालय के कार्यशील रहने के लिए आवश्यक हों।

(3) प्रथम कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे परिनियम बनाए जो आवश्यक हों और उन्हें प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करे।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी और ऐसे समय तक जब तक इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकरण का सम्यक् रूप से गठन नहीं हो जाता है, प्रथम कुलपति, इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकरण की किन्हीं शक्तियों और कर्तव्यों के निर्वहन तथा अनुपालन के लिए अस्थायी रूप से किसी अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा अथवा किसी समिति का गठन कर सकेगा।

57. कुलपति और अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना.—इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश या विनियमों के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य कर रहे या कार्य करने के लिए तात्पर्यित कुलपति, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी और विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थातर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

58. परिनियमों, अध्यादेशों आदि का जारी रहना.—जब तक इस अधिनियम के समुचित उपबन्धों के अधीन परिनियम, अध्यादेश और विनियम नहीं बना लिए जाते हैं तब तक सुसंगत विधियों के अधीन विरचित और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त परिनियम, अध्यादेश और विनियम उसमें ऐसे अनुकूलन या उपांतरणों, जैसे कुलपति द्वारा प्रबन्ध बोर्ड के समर्थन से और कुलाधिपति के अनुमोदन से किए जाएं, जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, के अधीन इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बनाए गए परिनियम, अध्यादेश और विनियम समझे जाएंगे।

59. नियम बनाने की शक्ति.—सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

60. कतिपय परीक्षाओं के विषय में व्यावृत्तियां.—(1) इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कोई छात्र, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व सम्बन्धित अधिनियम, जिसके अधीन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, के अन्तर्गत प्रवृत्त विनियमों के अनुसार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य विज्ञान की उपाधि के लिए अध्ययनरत था, तब तक, जब तक कि ऐसी परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित न करवा दी गई हों, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश पा सकेगा और उसे उक्त विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य विज्ञान की उपाधि, जिसमें ऐसी परीक्षा के परिणामतः वह अर्हित हुआ है, प्रदत्त की जा सकेगी।

(ख) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने यदि कोई परीक्षा आयोजित की है जिसका परिणाम प्रकाशित किया जा चुका है किन्तु उससे सम्बन्धित उपाधियां प्रदत्त या जारी नहीं की गई हैं अथवा ऐसी किसी परीक्षा का परिणाम उक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया है तो ऐसी परीक्षा हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई समझी जाएगी।

61. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, और जो ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके इस प्रकार किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

62. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.—इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होंगे।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES ACT, 2017

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

CHAPTER-I PRELIMINARY

1. Short title and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER-II ESTABLISHMENT OF THE UNIVERSITY

3. Establishment of the University.
4. Mission of the University.
5. Objects of the University.
6. Powers and functions of the University.
7. Jurisdiction and admission privileges.
8. University open to all.